अस्पताल में इंटर्न डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का विधायक पर आरोप

नई दिल्ली। मोती नगर स्थित आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल में बृहस्पतिवार को इंटर्न डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार और शारीरिक हिंसा का भाजपा विधायक हरीश खुराना और उनके समर्थकों पर आरोप लगा है। इस घटना पर एम्स रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन सहित कई दूसरे अस्पतालों की एसोसिएशन ने निंदा की है।

इस मामले को लेकर अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक को शिकायत भी दी गई है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो और शिकायत की प्रति वायरल है। हालांकि शिकायत की प्रति के प्राप्त किए जाने को लेकर उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं थे। ब्यूरो

भाजपा विधायक ने गाली-गलौज और मारपीट की : आप

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा विधायक हरीश खुराना ने आचार्य भिक्षु सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर के साथ बुधवार को गाली-गलौज और मारपीट की। आरोप है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से कतरा रही है। आप के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने प्रेसवार्ता में कहा कि पीड़ित डॉक्टर ने सुबह 11:15 बजे ही अस्पताल प्रबंधन को लिखित शिकायत दी थी जिसमें फिजिकल असॉल्ट और गाली-गलौज का जिक्र है बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर की मांग है कि सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए। ब्यूरो

डेंगू के मरीज बढ़ने पर अस्पतालों में बेड होंगे आरक्षित

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मरीजों पर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी जारी है। डेंगू को लेकर विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने पर अस्पतालों में बेड आरक्षित किए जाएंगे।

हालांकि अभी अस्पतालों में उपचार के लिए डेंगू मरीजों की संख्या न के बराबर है। विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, अभी स्थिति सामान्य है। डेंगू के मरीजों पर नजर रखी जा रही है। जब मरीज जरूरत से ज्यादा एकदम बढ़ जाते

62% से अधिक की वृद्धि हुई है दो सप्ताह में डेंगू के मरीजों में

हैं तो उन्हें उपचार के लिए बेड की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए जाते हैं।

डेंगू वार्ड बनाया जाता है जो एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। अगर मरीज बढ़ेंगे तो अस्पतालों में बेड जरूर आरक्षित किए जाएंगे दिल्ली नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष एक जनवरी से लेकर 14 अगस्त को समाप्त सप्ताह तक डेंगू के मरीजों की संख्या 354 हो गई है।

इसमें पिछले दो सप्ताह में लगभग 62 फीसदी से अधिक की वृद्धि डेंगू के मरीजों में देखी गई है। स्वामी दयानंद अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ग्लैडविन त्यागी ने कहा कि उनके यहां उपचार के लिए डेंगू का कोई मरीज नहीं है मगर मलेरिया के चार-पांच मरीज जरूर भर्ती हैं।

डेंगू के जब मरीज अधिक बढ़ जाते हैं तो उस परिस्थिति में बेड जरूर आरक्षित होते हैं लेकिन अभी ऐसी कोई जरूरत दिख नहीं रही है। लोग अपने आसपास पानी जमा न होने दें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है। छोटे बच्चे पूरी बाजू के कपड़े पहनकर रहें। अगले कुछ महीनों में मच्छरजनित बीमारियां अधिक होंगी।

न्यूज डायरी

600 सफल प्रत्यारोपण पर आधारित पुस्तक का विमोचन

नई दिल्ली। पूर्व सांसद और भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने दिल्ली के एक नामी निजी अस्पताल की 600 सफल प्रत्यारोपण पूरे होने पर ट्रांसप्लांटिंग होप पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक को वरिष्ठ बाल यकृत रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुपम सिब्बल और डॉ. स्मिता मल्होत्रा ने लिखा है। पुस्तक में 25 बच्चों की कहानियों को शामिल किया गया है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। प्रत्यारोपण के बाद उन्हें नई जिंदगी मिली है। इस पुस्तक की भूमिका पूर्व सांसद गौतम गंभीर ने लिखी है। ब्यूरो

हुसैन की पेंटिंग्स पर एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने पद्म पुरस्कार विजेता एमएफ हुसैन की दो पेंटिंग्स से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार करने वाले आदेश के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने 22 जनवरी को मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ अधिवक्ता अमिता सचदेवा की तरफ से दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की। इसमें कहा गया था कि आगे जांच की आवश्यकता नहीं है। मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा कि यह मामला उसके समक्ष शिकायत के रूप में आगे बढ़ सकता है। इसके बाद अदालत ने दिल्ली आर्ट गैलरी प्राइवेट लिमिटेड, उसके सीईओ और एमडी आशीष आनंद और निदेशक अश्विनी आनंद को नोटिस जारी किया। एजेंसी

चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 23 सितंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 23 सितंबर तक बढ़ा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। कोर्ट 23 सितंबर को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट ने 2 जुलाई को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था। अदालत ने दोनों आरोपियों को प्रेस वार्ता करने और मीडिया को इंटरव्यू नहीं देने का निर्देश दिया था। साथ ही, दोनों आरोपियों को इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट नहीं करने को कहा था। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों आरोपियों को संबंधित थाने में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह दस बजे रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था।

भव्य रूप से मनेगा विमुक्त एवं अर्ध घुमंतू समाज दिवस

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने सचिवालय में विमुक्त एवं अर्ध घुमंतू समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य 31 अगस्त को होने वाले विमुक्त एवं अर्ध घुमंतू समाज दिवस की तैयारियों की रूपरेखा तय करना था। इस दौरान कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में यह दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। कपिल मिश्रा ने आश्वासन दिया कि 31 अगस्त को मनाए जाने वाले इस दिवस के आयोजन में दिल्ली सरकार सक्रिय सहयोग करेगी। बैठक में बनजारा, गड़िया, नट, सिख लिगार, मनिहार, लुभाना, गौहरा, सांसी, कलंदर, कालबेलिया, सपेरा और जोगी समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो

लालच भ्रष्टाचार को देता है जन्म, इससे सामाजिक अस्थिरता होती है पैदा : कोर्ट

कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में एमसीडी के दो पूर्व अधिकारी कपिल, धन सिंह को दंडनीय अपराध का दोषी ठहराते हुए की टिप्पणी

अदालत से

नितिन राजपूत

नई दिल्ली। लालच और भ्रष्टाचार एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अक्सर, लालच भ्रष्टाचार को जन्म देता है, जिससे संस्थाओं में जनता का विश्वास कम हो जाता है और सामाजिक अस्थिरता पैदा होती है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) सीबीआई प्रशांत शर्मा ने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार के एक मामले में फैसला सुनाते हुए की। अदालत ने इस मामले में पूर्व एमसीडी के दो अधिकारी कपिल और धन सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी) की धारा 7 के साथ आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध का भी दोषी ठहराया है।

न्यायाधीश ने कहा कि मामले में न केवल शिकायतकर्ता और सीबीआई अधिकारी के साक्ष गवाह भी जांच में शामिल हुए थे। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष बिना किसी संदेह के साबित करने में सफल रहा कि दोनों दोषियों ने आपराधिक षडयंत्र के तहत रिश्वत मांगी थी। अदालत ने कहा कि जब शिकायतकर्ता पक्ष के गवाहों ने उनके बचाव को स्वीकार नहीं किया, तो उन्हें स्वयं की जांच करके अपने बचाव को संभाव्य बनाना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया।

शिकायतकर्ता को पोस्टिंग देने के लिए सक्षम नहीं था दोषी : अदालत

अदालत ने कहा कि दोषियों ने शिकायतकर्ता से एक साथ रिश्वत की मांग की। वे एक-दूसरे के साथ मिले हुए थे। उन्हें पता था कि वे कितनी राशि मांग रहे हैं और किस उद्देश्य से मांग रहे हैं। उनकी तरफ से मांगी राशि कानूनी नहीं थी। अदालत ने कहा कि अपराध करने की तैयारी और प्रयास के बीच बहुत पतली रेखा होती है। दोषी पक्ष के गवाहों ने स्पष्ट रूप से दावा किया कि वह शिकायतकर्ता को पोस्टिंग देने के लिए सक्षम नहीं था। यदि ऐसा है, तो शिकायतकर्ता को पोस्टिंग देने के लिए रिश्वत की मांग उसके सार्वजनिक कर्तव्य के पालन के लिए अवैध रूप से दिया गया आश्वासन था। ऐसे में शिकायतकर्ता से अपने कर्तव्य के अनुचित और बेईमानी से पालन के लिए रिश्वत लेने का प्रयास भी।

यह है मामला...

शिकायतकर्ता रणवीर सिंह ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह दिल्ली पर्यावरण प्रबंधन सेवा विभाग के राजा गार्डन, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। 22 साल की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें विभाग की तरफ से नियमित स्वच्छता कर्मचारी के रूप में नियमित कर दिया गया। उन्होंने जब कार्यभार संभाला तो, राजेंद्र शर्मा ने उन्हें पद प्रदान करने के लिए 15,000 रुपये की मांग की। साथ ही, धमकी दी कि वह रिश्वत नहीं देते हैं, तो वह उन्हें कोई पद नहीं देंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में दो आरोपियों कपिल और धन सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। कथित अपराध के समय आरोपी कपिल सहायक स्वच्छता निरीक्षक के पद पर कार्यरत था और आरोपी धन सिंह दक्षिण दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत था।

कंपनी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश

नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने एक व्यक्ति को निजी कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही, उसे आगे कोई भी मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से भी रोका है।

अदालत ने कहा है कि ये पोस्ट गंभीर रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण हैं। जिला न्यायाधीश सत्यव्रत पांडा वादी फॉक्सहॉग वेंचर्स इंडिया लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक की तरफ से दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे।

इस मुकदमे में आरोपी संदीप मोहंती के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाया गया था और स्थायी निषेधाज्ञा और हर्जाने की मांग की गई थी। आदेश में अदालत ने आरोपों पर ध्यान दिया जिसके अनुसार मोहंती ने लिंकडइन और यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वादी के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित और प्रसारित की। संवाद

नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में गवाह का बयान दर्ज

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में बृहस्पतिवार को एक गवाह सेवानिवृत्त एसआई रूप सिंह का बयान दर्ज किया। विशेष न्यायाधीश जीतेंद्र सिंह ने 22 अगस्त को दूसरे गवाह का बयान दर्ज करने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान मामले की आरोपी और आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सांसद स्वाति मालीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुईं। उनकी ओर से पेश वकील ने मालीवाल की कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। रूप सिंह के बयान दर्ज होने के साथ ही अब तक इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। संवाद

कोर्ट डायरी

तेजस्वी के रिश्तेदारों ने कहा, पारिवारिक रिश्ते की वजह से सीबीआई ने किया टारगेट

नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में बचाव पक्ष ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंसी ने चुनिंदा लोगों को ही आरोपी बनाया, जबकि उसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल कई अन्य उम्मीदवारों को छोड़ दिया गया। सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव के रिश्तेदार सुनील यादव और संतलाल यादव की ओर से उनके वकीलों ने दलीलें पेश कीं। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपी बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और उनका एकमात्र अपराध यह है कि वे लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार हैं। वकील ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने जानबूझकर राजनीतिक परिवार से जुड़े नामों को चुनकर अभियोजन चलाया। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि अगर लालू प्रसाद यादव ने रिश्तेदारों को विशेष लाभ पहुंचाना चाहा होता, तो उन्हें उच्च पद दिए जाते।

पालतू कुत्तों को लेकर पड़ोसियों के बीच दर्ज शिकायत रद्द

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पालतू कुत्तों के रखरखाव को लेकर पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े के कारण दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक कुत्ता आश्रय में 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने कहा कि यह विवाद निजी प्रकृति का था और पड़ोसियों के बीच उनके पालतू जानवरों के रखरखाव को लेकर अनावश्यक मतभेदों से उत्पन्न हुआ। 20 अगस्त के अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा बल्कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। आपराधिक कार्यवाही को रद्द न करने से शत्रुता फिर से भड़क सकती है जबकि इसे रद्द करने से पड़ोसियों के बीच सौहार्द और मित्रता को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो

संजय भंडारी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को यूके के हथियार डीलर संजय भंडारी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। भंडारी ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें आर्थिक भगोड़ा घोषित किया गया था। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने भंडारी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित किया। ईडी ने दलील दी कि जुलाई में निचली अदालत का आदेश पारित होने के समय अदालत को 655 करोड़ रुपये की संपत्ति के गुप्त रूप से अर्जित होने के आकलन आदेश की जानकारी थी। वहीं, भंडारी के वकील ने तर्क दिया कि आकलन प्रक्रिया पूरी किए बिना अभियोजन शुरू किया गया और यदि आकलन पूरा नहीं हुआ तो 100 करोड़ रुपये से अधिक कर चोरी का विश्वास करने का कोई आधार नहीं था। भंडारी के वकील ने निचली अदालत की कार्यवाही को स्थगित और रद्द करने की मांग की, यह कहते हुए कि उन्हें भगोड़ा घोषित करने से वे उपायहीन हो जाएंगे। ब्यूरो

पूर्व एफएसओ पर 19 साल बाद आरोप होंगे तय

नई दिल्ली। धौखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के 19 साल बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) सुनील कुमार सचान और अन्य दो के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश सरिष अग्रवाल असरानी ने प्रस्तुत साक्ष्यों पर गौर करने के उपरांत कहा कि केरोसिन तेल डिपो (केओडी) का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक मृत व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर बनाने के लिए तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी सुनील कुमार सचान और सह-आरोपी सिम्पल गर्ग और राजीव कुमार की सक्रिय संलिप्तता का गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। आरोपी राजीव कुमार को वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए यह साजिश रची गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सचान ने कथित तौर पर 2005 में गोकुलपुल स्थित एक केओडी का लाइसेंस सिंह के हस्ताक्षर से नवीनीकृत किया था, जो डिपो में एक बड़ा हिस्सा रखने वाले लाइसेंस धारक थे और जिनका एक साल पहले निधन हो गया था। 2006 में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने प्राथमिकी दर्ज की। संवाद

छतरपुर फार्म की सड़कों पर सार्वजनिक पहुंच की अनुमति

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने छतरपुर फार्म की आंतरिक सड़कों पर सीमित सार्वजनिक पहुंच की अनुमति दी है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने यह निर्देश अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए पारित किया, जिसमें पहले इन सड़कों पर निर्बाध और मुफ्त पहुंच का आदेश दिया गया था।

खंडपीठ ने कहा कि 19 मई का पिछला अंतरिम आदेश याचिका में मांगी गई अंतिम प्रार्थनाओं को लगभग स्वीकार करने जैसा था, जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

छतरपुर फार्म वेलफेयर सोसाइटी की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट कर रहा था सुनवाई

खंडपीठ छतरपुर फार्म वेलफेयर सोसाइटी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। विवाद आसपास के कॉलोनियों के निवासियों की ओर से दायर याचिका से उत्पन्न हुआ, जिन्होंने सड़कों पर आवागमन को प्रतिबंधित करने वाली गेट्स और बैरियर्स को हटाने की मांग की थी। एकल न्यायाधीश ने बिना किसी शुल्क के सार्वजनिक पहुंच की अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ सोसाइटी ने अपील की। सोसाइटी के वकील ने दावा किया कि क्षेत्र के अंदर की सड़कें निजी गलियां हैं, जो फार्म मालिकों की ओर से अपनी निजी जमीन से बनाई गई थीं और रखरखाव के लिए एक सहकारी समिति को सौंपी गई थीं।

दोनों पक्षों द्वारा सहमति के आधार पर एक अस्थायी व्यवस्था के तहत, कोर्ट ने आसपास की कॉलोनियों के निवासियों को गेट 1 से गेट 3 तक नॉर्थ ड्राइव, लिंक रोड और ओक ड्राइव के माध्यम से सीमित पहुंच की अनुमति दी। यह पहुंच रोजाना सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों, दोपहिया, चारपहिया वाहनों और आवश्यक सेवा वाहनों जैसे एम्बुलेंस और नगर निगम के वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि, लदे हुए ट्रक जैसे वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।

गैर चिकित्सा संकाय की सीमा बढ़ाने पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी जैसे विषयों के लिए एमबीबीएस छात्रों के लिए गैर-चिकित्सा संकाय की सीमा बढ़ाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। याचिका में चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता नियमावली, 2025 के कुछ प्रावधानों और 2 जुलाई को जारी एनएमसी की संशोधन अधिसूचना रद्द करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। ब्यूरो

ओजेम्पिक घोटाले के आरोपी को अंतरिम राहत

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 18.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अंतरराष्ट्रीय ओजेम्पिक घोटाले के मुख्य आरोपी कारोबारी विक्की रमांचा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने आदेश दिया कि 22 सितंबर तक रमांचा के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि रमांचा जांच में सहयोग करें और 25 अगस्त को जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने रमांचा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ लालेर ने कहा था कि भारत का फार्मा सेक्टर राष्ट्रीय संपत्ति है। नकली दवाओं की आपूर्ति स्वास्थ्य के लिए खतरा है। ब्यूरो

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को लेकर कार्यशाला आयोजित

नई दिल्ली(वि)। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस (एनएसपीडी) को लेकर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) ने आर्यभट्ट से गगनयानः प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावना विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। दिन की शुरुआत प्रातः 8:30 बजे अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण प्रदर्शनों के साथ हुई। पीआरएल के वैज्ञानिकों ने ग्रहीय और अंतरिक्ष अन्वेषण, उल्कापिंड अध्ययन पर ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिए और माउंट आबू वेधशाला का आभासी दौरा कराया। प्रत्येक व्याख्यान के बाद छात्रों के साथ प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किए गए। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कुल 300 छात्र-छात्राओं और उनके शिक्षकों ने इसमें भाग लिया। सभी ने ग्रहीय मिशन और अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में चर्चा का आनंद लिया।

आप का भाजपा और दिल्ली पुलिस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने भाजपा और दिल्ली पुलिस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। आप के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा, बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले में पुलिस ने तत्काल हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। बुराड़ी से आप पार्षद गगन चौधरी पर हुई मारपीट के चार दिन बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई।

भारद्वाज ने कहा कि गगन चौधरी के साथ सिविल लाइंस जोन की चेयरमैन ऑफिस में तड़ीपार ने मारपीट की, जिसका पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद है। आरोपी पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे हैं। इसके बावजूद वह सांसद मनोज तिवारी के निजी सचिव के साथ कार्यालय में पहुंचा और पार्षद पर हमला किया। आप नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार घटिया राजनीति कर रही है। ब्यूरो

चिड़ियाघर में जन्मे छह बंगाल टाइगर शावकों में से चार का इलाज जारी

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में हाल ही में जन्मे छह बंगाल टाइगर शावकों में से चार का स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के बाद इलाज चल रहा है। ये शावक 4 अगस्त को सात साल की अदिति के गर्भ से पैदा हुए थे, जो पिछले 20 सालों में चिड़ियाघर में सबसे ज्यादा संतान थी। दो नवजात शिशुओं की एक हफ्ते के भीतर मौत हो गई, एक की 8 अगस्त को, जिसे अधिकारियों ने संतानों में सबसे कमजोर बताया और दूसरा 10 अगस्त को जो चिड़ियाघर के अस्पताल में स्थानांतरित होने के बावजूद दूध नहीं पी सका।

चिड़ियाघर प्रबंधन के अधिकारियों ने बताया कि बीमारी के लक्षण दिखाने वाले

15 अगस्त को इसी तरह के लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती एक शावक की हालत स्थिर बताई जा रही है

तीन शावकों को बृहस्पतिवार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि बीमारी का कारण जानने के लिए जांच की जा रही है। 15 अगस्त को इसी तरह के लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती एक शावक की हालत स्थिर बताई जा रही है। अधिकारी ने बताया कि इस साल की शुरुआत में महागौरी के चार शावकों का जन्म हुआ था। उनमें से दो की मृत्यु हो गई, जबकि शेष दो को मां ने अस्वीकार कर दिया। प्रबंधन ने उन्हें हाथों से पाला और अब वे चार महीने के हो गए हैं और मुख्य बाड़े में स्थानांतरित किए जाने के लिए तैयार हैं।

राजधानी में बिखरा संगीत का जादू

कमानी सभागार में सितार वादक लक्ष्य और सरोद वादक आयुष प्रस्तुति देते हुए। संवाद

नई दिल्ली। बारिश की रिमझिम में जब सुर और ताल घुलकर आत्मा को भिगो दे, तो वह अनुभव अविस्मरणीय हो जाता है। कमानी ऑडिटोरियम में आयोजित 'मानसून रागास' के दूसरे संस्करण में मोहन ब्रदर्स, सितार वादक लक्ष्य मोहन और सरोद वादक आयुष मोहन ने ठीक वैसा ही जादू बिखेरा। दोनों भाईयों की जुगलबंदी ने पारंपरिक मानसून रागों को प्रेम, विरह और आत्मचिंतन की संवेदनाओं से संजाया। सितार की कोमल ध्वनि और सरोद की गंभीरता ने मिलकर कभी हल्की फुहारों सा सुकून दिया तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट जैसी ऊर्जा जगाई। तबले पर पं. रामकुमार मिश्रा और पखावज पर पं. फतेहसिंह गंगानी की संगत ने प्रस्तुति को और गहराई प्रदान की।

प्रदर्शनी में दिखी प्रकृति की झलक

नई दिल्ली। बीकानेर हाउस की एलटीसी गैलरी में बृहस्पतिवार को दिव्यमान सिंह की प्रदर्शनी लाइट एज क्रिएशन का आयोजन हुआ। बक्सर, बिहार से सम्बन्ध रखने वाले कलाकार ने अपने अमूर्त और समकालीन चित्रों के माध्यम से प्रकृति, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच गहरे संबंध को प्रस्तुत किया।

कैनवास पर तेल रंगों से बनी उनकी कृतियां दो रंगों की सीमित छटा में भी संवेदना और आत्मचिन्तन का संसार रचती दिखीं। चित्र दर्शकों को ठहरने और भीतर झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। नीली और लाल धुंखला में संध्या और प्रभात के क्षण, स्मृतियों और भावनाओं की गूंज बनकर सामने आए। क्वुरेटर उमा नायर ने इन चित्रों को धरती के पृष्ठ बताते हुए कहा कि दिव्यमान की कला सृजन का मूल स्रोत भी बनाते हैं। संवाद

मेटेसिया बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन का आगाज...नई दिल्ली।

यशोभूमि द्वारका के इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में बृहस्पतिवार को मेटेसिया बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन 2025 की शुरुआत हुई। यह वार्षिक आयोजन आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स और निर्माण उद्योग से जुड़े पेशेवरों को नवीनतम उत्पादों और तकनीकों के साथ जोड़ता है। उद्घाटन पूर्व आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल डॉ किरण बेदी ने किया। ग्रीनएलई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी राजेश मित्तल और एक्शन टेस्ट ग्रुप के चेयरपर्सन एनके अग्रवाल सहित उद्योग जगत के दिग्गज उपस्थित रहे। संवाद

नेताओं के जेल में रहने पर पद छोड़ने वाला कानून अधूरा : सिसोदिया

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार की ओर से लाए जा रहे मुख्यमंत्री या मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होने पर उनके 30 दिन तक जेल में रहने पर पद छोड़ने के कानून को अधूरा करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसका दुरुपयोग ईडी-सीबीआई की तरह हो सकता है।

उन्होंने कहा, अगर किसी नेता या मंत्री को झूठे मामले में जेल भेजा जाता है और बाद में वह बरी हो जाता है तो उस झूठे केस में गिरफ्तार कराने वाले अधिकारी, एजेंसी और सरकार के मुखिया को भी उतने ही साल के लिए जेल भेजा जाए, जितने साल की सजा उस आरोप में थी।

सिसोदिया ने कहा कि भ्रष्ट नेताओं को भ्रष्टाचार करने पर कुर्सी जाने का डर होना चाहिए, लेकिन अगर किसी निर्दोष को जेल भेजा जाता है और वह बाद में बेगुनाह साबित होता है तो इसका सीधा मतलब है कि आरोप झूठे थे। साजिश के तहत लगाए गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कानून सिर्फ नेताओं तक ही क्यों सीमित रहे? देश की जेलों में हजारों-लाखों आम नागरिक झूठे मामलों के कारण वर्षों से बंद हैं।

चिंता विजेंद्र शेखावत ने कहा- बच्चों को भी अपनी धरती के लिए लड़ना चाहिए

डोल का बाढ़ जंगल बचाने के लिए पीएम से गुजारिश

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। अगर हमारे जंगल खत्म हो गए, तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। हम प्रधानमंत्री से बस यही कहना चाहते हैं, डोल का बाढ़ वन बचा लीजिए। यह बातें विजेंद्र शेखावत ने बृहस्पतिवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही।

उन्होंने कहा बच्चों को भी अपनी धरती के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि भविष्य हमारा है। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम जैसे कई पर्यावरण-हितैषी पहल शुरू की हैं।

जानकारी देते विजेंद्र शेखावत। अमर उजाला

उनसे मिलकर देश का भविष्य डोल का बाढ़ मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे।

उन्होंने बताया कि उनकी दो बेटी सात साल की भाव्या और 13 वर्षीय साखी ने जयपुर स्थित डोल का बाढ़ 100 एकड़ को बचाने के लिए 10 अगस्त 2025 को जयपुर से दिल्ली तक 300 किमी की साइकिल यात्रा प्रारंभ की। इसका उद्देश्य जंगलों की कटाई और निर्माण परियोजनाओं को रोकना है।

शेखावत ने कहा कि पिछले चार साल से उनकी दोनों बेटियां इस जंगल का दौरा करती रही हैं। पेड़ों, पक्षियों और जंगली जीवन से उनका गहरा भावनात्मक संबंध बन चुका है। उनकी प्रेरणा अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर